पत्रांक–12/कोर्ट–05–02/2020 का0 1903 /

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

राँची, दिनांक– 03.04.2023

विषयः–माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) No–6999/2013 (भी0ए0 अब्राहम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक–15.06.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री भी0ए0 अब्राहम, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान की BHALCO (Bihar Hill Area Lift Irrigation Corporation) में व्यतीत की गई सेवा अवधि (दिनांक–18.09.1979 से 7.10.1996 तक) को ए0सी0पी0, एम0ए0सी0पी0 एवं पेंशनादि लाभ के निमित्त परिगणित करने के संबंध में।

WP(S) No–6999/2013 (भी0ए0 अब्राहम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–15.06.2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री भी0ए0 अब्राहम, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची की BHALCO (Bihar Hill Area Lift Irrigation Corporation) में व्यतीत की गई सेवा अवधि (दिनांक–18.09.1979 से 07.10.1996 तक) को ए0सी0पी0, एम0ए0सी0सी0 एवं पेंशनादि लाभ के निमित्त परिगणित किया जाना है।

श्री भी0ए0 अब्राहम को BHALCO (Bihar Hill Area Lift Irrigation Corporation) के पत्रांक–9906, दिनांक–17.09.1979 के द्वारा आशुलिपिक के पद पर दिनांक–18.09.1979 के प्रभाव से की गई नियुक्ति के पश्चात SKIPA में प्रतिनियुक्ति के दौरान स्थायी रूप से इस संस्थान में नियुक्ति हेतु किए गए अनुरोध के आलोक में BHALCO के पत्रांक–1180, दिनांक–19.10.1992 के द्वारा SKIPA के पत्रांक–1440, दिनांक–15.10.1992 के आलोक में इनके समायोजन हेतु अनापत्ति प्रदान की गई थी।

2. श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (SKIPA) की स्थापना समिति की दिनांक–19.10.1992 को संपन्न बैठक में श्री अब्राहम के संबंध में कंडिका–4 में निम्नांकित निर्णय लिया गया था :–

"श्री अब्राहम को उनके अभ्यावेदन पर संस्थान में समायोजित करने पर विचार किया गया। छात्रावास में मेस मैनेजर का एक पद कई वर्षों से रिक्त है। श्री अब्राहम को इस रिक्त पद पर इस शर्त के साथ समायोजित करने की अनुशंसा की जाती है कि इन्हें यहाँ वही वेतनमान मिलेगा जो वेतनमान यदि ये इस समय भालको में कार्यरत रहते तब प्राप्त होता। साथ ही इनकी नियुक्ति के पूर्व आरक्षण रोस्टर की स्वीकृति सहित अन्य निर्धारित प्रक्रियाएँ पूरी कर ली जाय।"

3. श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (SKIPA) के कार्यालय आदेश संख्या–537, दिनांक–12.10.1996 सह–पठित ज्ञापांक संख्या–1190, दिनांक–12.10.1996 द्वारा श्री अब्राहम को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के पत्रांक–13/टि–3039/92–10585/का0, दिनांक–24.09.1996 एवं BHALCO के पत्रांक–350, दिनांक–07.10.1996 के आलोक में संस्थान में योजना मद में सृजित एवं रिक्त निजी सहायक के पद (वेतनमान–1500–2750) के विरूद्ध दिनांक–07.10.1996 से निम्नांकित शर्तों के अधीन समायोजित किया गया था :–

(i) बिहार सेवा संहिता के नियम–63 के अनुसार श्री अब्राहम सरकारी सेवा में बदले गए व्यक्ति सरकार के अधीन प्रथम पद ग्रहण करने वाले समझे जाएंगे। उनकी पूर्व की सेवा कर्तव्य संपादन नहीं मानी जाएगी।

(ii) समायोजन के फलस्वरूप श्री अब्राहम, महानिदेशक (प्रशिक्षण) के निजी सहायक के रूप में कार्य करेंगे।

(iii) अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री अब्राहम संस्थान छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक के अधीनस्थ छात्रावास प्रबंधक के रूप में भी कार्य करेंगे तथा छात्रावास संबंधी सभी आदेश छात्रावास अधीक्षक से प्राप्त करेंगे।

4. श्री अब्राहम झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मी नहीं है तथा इनके नियुक्ति/संवर्ग नियंत्री प्राधिकार, महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची हैं।

5. श्री भी0ए0 अब्राहम, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची के द्वारा BHALCO (Bihar Hill Area Lift Irrigation Corporation) में व्यतीत की गई सेवा अवधि (दिनांक–18.09.1979 से 07.10.1996 तक) को पूर्ण पेंशन, उपादान, द्वितीय ए0सी0पी0 एवं तृतीय एम0ए0सी0पी0 के निमित परिगणित करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर

WP(S) No–6999/2013 (भी0ए0 अब्राहम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक–15.06.2020 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

".....In view of the aforesaid facts and circumstances of this case particularly when the issue has already been decided and has attained finality, I do not think any reason why the case of the petitioner should not be guided by the law laid down by this Court in the case of similarly situated persons. In this view of the matter, I hereby dispose of the writ application by giving liberty to the petitioner to file a fresh representation before the respondent No.-3 The Principal Secretary, Personnel & Administrative Reforms Department, Government of Jharkhand raising his entire grievances. If any such representation file, the same shall be disposed of within a period of four month from the date of receipt of such representation in accordance with law, rules and regulations and law laid down by this Court in W.P.(S) No.- 1693/2012

With the aforesaid direction, the instant writ application is disposed of."

6. WP(S) No–1693/2012 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–31.07.2013 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड/निगम से कोषागार संवर्ग में समायोजित कर्मियों की निगम/बोर्ड में की गई सेवा को ए0सी0पी0, एम0ए0सी0पी0 एवं पेंशनादि लाभ के निमित्त परिगणित करने का निर्णय वित्त विभागीय संकल्प संख्या–24, दिनांक–31.08.2018 के द्वारा लिया जा चुका है।

7. अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) No–6999/2013 (भी0ए0 अब्राहम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक–15.06.2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ सम्यकरूपेण विचारोपरांत याचिकाकर्त्ता (श्री भी0ए0 अब्राहम) की भालको में व्यतीत की गई पूर्व सेवा अवधि को निम्नवत परिगणित करने का निर्णय लिया गया है :–

(क) श्री भी0ए0 अब्राहम, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची द्वारा BHALCO (Bihar Hill Area Lift Irrigation Corporation) में व्यतीत की गई सेवा अवधि (दिनांक–18.09.1979 से 07.10.1996 तक) को ए0सी0पी0, एम0ए0सी0पी0 एवं पेंशनादि लाभ के निमित्त परिगणित की जाएगी।

(ख) श्री भी0ए0 अब्राहम को ए0सी0पी0, एम0ए0सी0पी0 एवं पेंशनादि की स्वीकृति नियमानुसार एवं विहित प्रक्रिया के अनुरूप इनके संवर्ग नियंत्री प्राधिकार (महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची) के द्वारा की जाएगी।

(ग) इसे किसी भी अन्य मामले में पूर्वोद्धारण नहीं माना जाएगा।

8. मंत्रिपरिषद की स्वीकृति कार्मिक विभागीय संलेख (ज्ञापांक–1549, दिनांक–15.03.2023) के प्रस्ताव पर दिनांक–27.03.2023 की बैठक के मद संख्या–08 में प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

31/3/2023

(प्रवीण कुमार टोप्पो)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–12/कोर्ट–05–02/2020 का0....1903..../राँची, दिनांक– 03.04.2023ई0

प्रतिलिपिः– महानिदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/नोडल पदाधिकारी ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची/श्री भी0ए0 अब्राहम, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची पता–Valanjattil House, Kattuvettikurish, Areeparamb P.O. Kottayam, Kerala-686501 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/3/2023

सरकार के सचिव।